



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244848
CG-DL-E-01042023-244848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1431]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1431]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1484(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, झारखण्ड राज्य के वेस्ट सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-७५ (इ) पर चाईबासा बाईपास के कि.मी. १३६.६०० से १५०.६०० तक उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के वेस्ट सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या -७५ (इ) पर चाईबासा बाईपास के कि.मी. १३६.६०० से १५०.६०० तक निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन आफिसर (	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH75Ext के कि.मी. 136.644 से 150.64 तक	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	खूंटीपानी	1 पुटिदा
					चाईबासा	1 कातीगुटु
						2 डिलियामरचा
						3 कापरसाई
						4 डोबरोसाई
						5 टेकासाई
						6 तेलगोसाई
						7 सिकुरसाई
						8 तुईबीर
						9 बाईतुईबीर
						10 डोंकाहातु
						11 गुन्डीपुआ
						12 गितिलपी
						13 सिंघ पोखरिया
						14 टोन्टो
						15 बड़ोबील
						16 बाय हातू
						17 करलाजोरी
					झींकपानी	1 केलेन्डे
						2 रघुनाथपुर

[फा. सं. RW/Ranchi/LA/Chaibasa bypass/NH-75E/JHR]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 1484(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Chaibasa bypass on NH-75E from km. 136.644 to km. 150.640 in West Singhbhum district of the State of JHARKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH75 Ext for Construction of Chaibasa Bypass from km. 136.644 to km. 150.640 in West Singhbhum district of the State of JHARKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer)	136.644KM To 150.64KM	JHARKHAND	WEST SINGHBHUM	Khuntpani	1 Putida
					Chaibasa	1 Katigutu
						2 Diliyamarcha
						3 Kaparsai
						4 Dobrosai
						5 Tekasai
						6 Telgosai
						7 Sikursai
						8 Tuibir
						9 Baituibir
						10 Donkahatu
						11 Gundipua
						12 Gitilpi
						13 Singh Pokharia
						14 Tonto
						15 Barobil
						16 Baihatu
						17 Karlajori
					Jhinkpani	1 Kelende
						2 Raghunathpur

[F. No. RW/Ranchi/LA/Chaibasa bypass/NH-75E/JHR]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.